रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2012/वैशाख 19, 1934

No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2012/VAISAKHA 19, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2012

सा.का.नि. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर परिचर नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बायलर परिचर नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) के हिन्दी पाठ में "केन्द्रीय" शब्द का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियम के नियम 23 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखें जाएंगे, अर्थात् :--

"(2) किसी दूसरी श्रेणी का प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक किसी भी प्रकार की ऊष्मा पाइप के साथ एकल बायलर, जिसकी कुल ऊष्मित पृष्ठ दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक नहीं होगी, का भारसाधक होगा ।

(2क) दूसरी श्रेणी बायलर परिचर तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन से अनधिक संबद्ध बायलर से मिलकर नहीं बनेगा और जिसका कुल ऊष्मित पृष्ठ का औसत दो सौ वर्गमीटर से अनधिक नहीं होगा और बायलर उसी परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के भीतर अवस्थित होंगे तथा एक ही स्वामी के होंगे :

परंतु बायलर परिचर को ऐसी संख्या में फायर मैन की सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझी जाए ।"

4. उक्त नियम के नियम 24 के उपनियग (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) महाराष्ट्र राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी बायलर परिचर के रूप में प्रमाणपत्र धारक कोई व्यक्ति और वाष्प बायलर में फायरमैन या प्रचालक या सहायक फायर मैन या सहायक प्रचालक की क्षमता में एक वर्ष से अन्यून अनुभव रखने वाला अर्हता के पश्चात् महाराष्ट्र

राज्य बोर्ड में अध्यक्ष को आवेदन द्वितीय बायर परिचर की समक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकेगा ।"।

5. उक्त नियम के नियम 31 के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (ख) उसने किसी वाष्प बायलर पर फायरमैन या प्रचालक या पंप मैन या वाटर मैन या सहायक फायरमैन या सहायक बायलर के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो ; या"

6. उक्त नियम में, प्ररूप ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप ग

(नियम 41 देखें)

(सक्षमता का द्वितीय वर्ग बालयर परिचर प्रमाणपत्र)

.... का सं...................................

श्री... उम्र लगभग .... वर्तमान निवासी .... द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूर्ण करने की सक्षमता का परीक्षक बोर्ड का समाधान हो गया है बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के इस प्रमाणपत्र के द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी प्रकार के वाष्प नली के साथ एकल बायलर जिसका कुल उष्मित सतह 200 वर्ग मीटर से अनधिक नहीं है । वह तथापि बायलरों की किसी श्रृंखला जिसमें तीन संबद्ध बायलर से अधिक न हों (जिसका कुल उष्मित क्षेत्र 200 वर्गमीटर से अनधिक न हो) उसे ऐसी संख्या में फायरमैन द्वारा सहायता प्राप्त है जो मुख्य निरीक्षक बायलर द्वारा आवश्यक समझी जाए ।

20..... के .... मास के...................दिन................ को

सचिव
परीक्षक बोर्ड

अध्यक्ष
परीक्षक बोर्ड

फोटोचित्र

सूची का विवरण

1. जन्म तिथि और स्थान....................
2. स्थायी पता ....
3. राष्ट्रीयता ....
4. लंबाई (बिना जूते के)................
5. पहचान के चिन्ह ....
6. बाएं हाथ का अंगूठा निशान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन..................................."

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर्स]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2012

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Boiler Attendants' Rules, 2011, namely:--

1. (1) These Rules may be called the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Boiler Attendants' Rules, 2011, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1) of Hindi version, the word "Central" shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 23, for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

   "(2) A certificate of the Second Class shall qualify the holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type, the total heating surface of which does not exceed two hundred square meters.

   (2A) A Second Class boiler attendant may, however, attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers not exceeding two hundred square meters in aggregate of total heating surface and such boilers shall be situated within a radius of thirty meters in the same premises and belong to one owner:

   Provided that boiler attendant shall be assisted by such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers."

4. In the said rules, in rule 24, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) A person holding a certificate as Boiler Attendant issued by an Industrial Training Institute recognized by the Maharashtra State Board of Vocational Examination and having a post qualification experience of not less than one year in the capacity of a Fireman or Operator or an Assistant Fireman or an Assistant Operator on a steam boiler may make an application to the Chairman of the Board in the State of Maharashtra, for endorsement, to have the certificate, equivalent to the Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency."

5. In the said rules, in rule 31, for sub-rule (b), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(b) has served for not less than two years, in the capacity of a Fireman or Operator or Pump man or Water man or an Assistant Fireman or Assistant Operator on a steam boiler ;"

6. In the said rules, for "Form C", the following Form shall be substituted, namely:-

"Form C
(See Rule 41)

(Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency)
(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2011)
No.__________________ of ______

Shri ________________________________ aged about________

Years, at present residing at ____

having satisfied the Board of Examiners of his competency to fulfill the duties of Second Class Boiler Attendant, is granted under the Boiler Attendants' Rules, 2011, this certificate of competency as a Second Class Boiler Attendant authorizing him to have charge of a single boiler with steam pipes of any type, the heating surface of which does not exceed 200 square meters. He may, however , attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers (not exceeding 200 square meters in aggregate of total heating surface) provided that

such boilers shall be situated within a radius of 30 meters in the same premises and belong to one owner and provided that he is assisted by the number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector of Boilers.

Dated at ____________ this _________ day of ____________ 20 _____

Secretary
Board of Examiners

Chairman
Board of Examiner

PHOTO

Description Roll

1.Date and Place of Birth ....

2. Permanent address ....

3. Nationality ....

4. Height (without shoes) ....

5. Marks of Identification ....

6. Left Thumb impression ....

Signature of applicant

Endorsements________________"

[F. No. 6(11)/2009-Boilers]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

1667 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.